



नेपाल सरकार  
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय  
वैदेशिक रोजगार विभाग

इजाजत पत्र

इजाजतपत्र नं ४६६ / ०६०१०६१

मिति: २०६१.१०.११/२९

प्रतिलिपि  
०६९/६/३०  
प्रदेशीय रोजगार विकास  
शाखा अधिकृत

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को अधीनमा रही वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने गरी स्मिटि ग्लोबल इम्प्लोयमेन्ट सर्भिसेज प्रा. लि. लाई यो इजाजत पत्र दिइएको छ।

इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीको

दस्तखत:- ह. ....

नाम:- दीपेन्द्र बिक्रम थापा

दर्जा:- महानिदेशक

मिति:- २०६१/१०/११



| नवीकरण गरेको मिति | नवीकरण बहाल रहने मिति | नवीकरण दस्तुर | थप नवीकरण दस्तुर | नवीकरण गर्ने अधिकारीको सही र मिति |
|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| २०६८/०९/२९        | २०६९ आकाठ प्रदान      |               |                  | २. विकास क्षेत्र                  |
| २०६९/१०/२८        | २०८० आकाठ प्रदान      | १०,०००/-      |                  | २०६९/१३/२०                        |
| २०२०/३/२२         | २०२१ अक्षाट प्रदान    | १०,०००/-      |                  |                                   |
|                   |                       |               |                  |                                   |
|                   |                       |               |                  |                                   |
|                   |                       |               |                  |                                   |
|                   |                       |               |                  |                                   |
|                   |                       |               |                  |                                   |
|                   |                       |               |                  |                                   |
|                   |                       |               |                  |                                   |
|                   |                       |               |                  |                                   |
|                   |                       |               |                  |                                   |

**शर्तहरू:**

- स्वीकृति नलिई शाखा कार्यालय खोली काम गर्न पाइने छैन ।
- स्वीकृति नलिई एजेण्ट मार्फत कुनैपनि काम गराउन पाइने छैन ।
- इजाजत प्राप्त मुलुकमा बाहेक अन्य मुलुकमा कुनैपनि शर्तनामामा कामदारहरु पठाउन पाइने छैन ।
- प्रचलित ऐन, नियममा भएको व्यवस्थाको अतिरिक्त नेपाल सरकारले समय समयमा दिएका निर्देशनहरुको पालना गर्नु पर्नेछ ।